झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2007

(सभा द्वारा यथापारित)

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक
(सभा द्वारा यथापारित)

विषय–सूची

खंड–1

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ ।

2. झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000 (अंगीकृत) की धारा 2के उपबन्ध (र) के पश्चात् खण्ड की अन्तः स्थापना ।

3. झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000 की धारा 5 (2) के पश्चात् उपधारा स्थापित ।

4. झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000 की धारा 15 (1) के पश्चात् प्रावधान अन्तः स्थापित ।

5. झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000 की धारा 27 प्रतिस्थापित ।

6. झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000 की धारा 53 के पश्चात् नई धाराओं यथा 54, 55 एवं 56 अन्तः स्थापित ।

7. परिशिष्ट–II

झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2007

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000(अंगीकृत) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में झारखंड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :—**

(i) यह अधिनियम झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम 2007 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह सम्पूर्ण झारखंड राज्य में लागू होगा ।

(iii) यह तुरत प्रवृत्त होगा ।

2. **झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000 (अंगीकृत) की धारा 2 के उपबन्ध (र) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाता है अर्थात–**

(ल) "निर्यात" से कृषि उत्पाद का भारत से बाहर भेजा जाना अभिप्रेत है ।

(व) "निर्यातक" से कृषि उत्पाद करने वाला व्यक्ति / फर्म अभिप्रेत है ।

(श) "आयात" से भारत के बाहर से कृषि उत्पाद लाना अभिप्रेत है ।

(ष) "आयातक" से भारत के बाहर से कृषि उत्पादों का आयात करने वाले व्यक्ति/फर्म अभिप्रेत है ।

(स) "निजी बाजार यार्ड" से आशय बाजार क्षेत्र के बाजार यार्ड/उप बाजार यार्ड से भिन्न ऐसे स्थान से है जहां की आधारिक संरचना का विकास और प्रबंध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जिसे इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त हो ।

(ह) "प्रसंस्करण" से कच्चे कृषि उत्पादन या इसके उत्पादों के उपचार के लिए अपनाई जाने वाली उपचार श्रृखला यथाचूर्ण बनाना, पीसना , भूसा अलग करना, पार बॉयलिंग , पॉलिशिंग, जिनिंग, प्रेसिंग ,क्योरिगं या अन्य कोई मैन्यूल यांत्रिक रसायनिक या भौतिक उपचार में से एक या अधिक उपचार अभिप्रेत है ।

(क्ष) "प्रसंस्करणकर्ता" से आशय उस व्यक्ति से है जो किसी अधिसूचित उत्पाद के प्रसंस्करण का कार्य अपनी मर्जी से या भुगतान लेकर करता हो ।

(त्र) "पंजीयन" से अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन किये गये पंजीयन से है ।

(ज्ञ) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" से वही अभिप्रेत है , जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 की क्रमशः खण्ड (24) और (25) में दिया गया है ।

(ञ–I) "परिवहन" से अभिप्राय व्यापार के दौरान कृषि उत्पाद को विपणन के लिए ठेलागाड़ी, बैलगाड़ी ,ट्रक या अन्य वाहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है ।

(ञ–II) "ट्रांसपोर्टर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि उत्पाद का परिवहन करता हो ।

(ञ–III) "मूल्य वृद्धि" का अर्थ है– प्रसंस्करण ,श्रेणीकरण , पैकिंग या अन्य क्रियाकलाप जिनकी वजह से कृषि उत्पाद का मूल्य बढ़ जाता है ।

(ञ–IV) "बाजारोन्मुख कृषि" का अर्थ कृषक या कृषक समूह द्वारा कृषि उपज के क्रेता के साथ भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत ऐसे समझौता पत्र /एकरारनामा/ संविदा के आधार पर कृषि कार्य होगा जिसमें कृषि उपज के सुनिश्चित क्रय हेतु प्रावधान रहेंगे परन्तु ऐसे प्रावधान किसी भी परिस्थिति में कृषक या कृषक समूह के स्वार्थ के विरूद्ध नहीं होगें ।

(ञ–V) "बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा " का कृषि उपज उत्पादक एवं कृषि उपज क्रेता के मध्य समझौता/एकरारनामा से अभिप्रेत है ।

3. **झारखंड राज्य कृषि उपज अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 5 (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाय अर्थात,**

5.(3). (क) प्रत्येक बाजार क्षेत्र में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:–

(i) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित मंडी यार्ड ।

(ii) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित एक या एकाधिक उप बाजार यार्ड ।

(iii) बाजार समिति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित एक या एक से अधिक निजी बाजार यार्ड/निजी मंडिया ।

(iv) बाजार समिति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित एक या एक से अधिक किसान /उपभोक्ता मंडियाँ ।

(ख) प्रत्येक बाजार यार्ड या उक्त बाजार यार्ड में एक मुख्य बाजार होगा।

(ग) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी बाजार क्षेत्र को "विशेष बाजार" या "विशेष वस्तु बाजार" घोषित कर सकते है ।

(4) राज्य सरकार यथासंभव शीघ्र धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा बाजार क्षेत्र में स्थित किसी संरचना , अहाते खुली जगह, मुहल्ले को बाजार यार्ड या उप बाजार यार्ड, जैसी भी स्थिति हो , घोषित कर सकती है और अधिसूचित मार्केट क्षेत्र को बाजार यार्ड या उप मार्केट यार्ड के जो भी हो, मुख्य बाजार घोषित कर सकती है। निदेशक /प्रबन्ध निदेशक /प्राधिकृत पदाधिकारी एक या एक से अधिक बाजार क्षेत्र में निजी यार्ड की स्थापना करके या सीधे कृषक से निम्नलिखित के लिए कृषि उपज खरीदने हेतु अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकता है ।

(क) अधिसूचित कृषि के प्रसंस्करण के लिए ।

(ख) विशिष्ट विनिर्देशन वाले अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार करने के लिए ।

(ग) अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार करने के लिए ।

(घ) अधिसूचित कृषि उपज का , मूल्य संवर्द्धन द्वारा अन्य रीति से, श्रेणीकरण ,पैकिंग और संव्यवहार करने के लिए ।

उपभोक्ता /कृषक बाजार यथा विहित आधारित संरचना को विकसित कर के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी बाजार क्षेत्र में स्थापित की जा सकती है। ऐसे स्थान पर कृषि उपज का उत्पादक स्वयं यथाविहित रीति से , अपनी उपज को सीधे उपभोक्ता को बेचता है ।

परन्तु उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता बाजार में 5 क्वींटल से ज्यादा सामग्री एक बार में खरीद नहीं किया जा सकता है ।

4. झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 15 (1) के पश्चात् निम्नलिखित प्रावधान अन्तः स्थापित किया जाए ।

परन्तु इस धारा के अंतर्गत किसी भी अधिसूचित कृषि उपज , जो निजी बाजार यार्ड/निजी बाजार /किसान /उपभोक्ता बाजार में खरीद विक्री के लिए हो पर लागू नहीं होगा।

5. झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 (अंगीकृत)की धारा 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाय, अर्थात्

27. (1) **प्रत्येक बाजार समिति बाजार शुल्क का उदग्रहण करेगी :-**

(i) प्रत्येक 100 रूपये के अधिसूचित कृषि उपज , चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से बाजार क्षेत्र में लाई गई हो के क्रय विक्रय पर दो रूपये के दर से बाजार फीस लगायेगी और उदग्रहण करेगी ।

(ii) प्रत्येक 100 रूपये के अधिसूचित कृषि उपज पर , चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से बाजार क्षेत्र में प्रसंस्करण के लिए लाई गयी हो , बाजार शुल्क दो रूपये की दर के अध्यधीन रहते हुए नियत की जायेगी तथा ,विहित रीति में शुल्क का उद्ग्रहण करेगी ।

(2) (i) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किया गया बाजार शुल्क राज्य के किसी बाजार क्षेत्र में दूसरी बार उद्गृहित नहीं किया जाएगा , बशर्ते कि राज्य की किसी बाजार में उस कृषि उपज पर पहले ही बाजार शुल्क का भुगतान किया जा चुका हो तथा इस आशय की सूचना , कि दूसरी बाजार में बाजार शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, संबंधित व्यक्ति द्वारा विहित रूप से दिया जा चुका हो ।

(ii) किसी बाजार क्षेत्र में एक से अधिक बार बाजार शुल्क उद्गृहित नहीं किया जाएगा। अगर कृषि उपज व्यपारियें के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार की प्रक्रिया में या उपभोक्ताओं को पुनः बेची जाती है , बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी प्रारूप में, जो विहित किया जाये, इस आशय की सूचना दे दी गई हो कि इस पर देय बाजार शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है ।

(3) यदि क्रेता या प्रसंस्करणकर्ता ने धारा 54 के अधीन जारी किया गया अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया है तो वाणिज्यिक संव्यवहार के लिए या प्रसंस्करण के लिए बाजार क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज पर बाजार शुल्क यथास्थिति क्रेता या प्रसंस्करण कर्ता द्वारा बाजार समिति के कार्यालय में चौदह दिन के भीतर लेकिन विक्रय या पुनर्विक्रेता या प्रसंस्करण बाजार क्षेत्र के बाहर निर्यात करने से पूर्व जमा किया जाएगा ।

परन्तु यदि यह पाया जाय कि अधिसूचित कृषि उपज , ऐसी उपज पर देय बाजार शुल्क के भुगतान के बिना प्रांगण के बाहर प्रसंस्कृत की गई है, बेच दी गई है या पुनः बेच दी गई है तो बाजार शुल्क यथास्थिति प्रसंस्कृत उपज के बाजार मूल्य या कृषि उपज के मूल्य के पांच गुने के हिसाब से उद्गृहीत तथा वसूल किया जाएगा।

(4) बाजार शुल्क अधिसूचित कृषि उपज के क्रेता द्वारा संदेय होगा और विक्रेता को संदेय कीमत में से नहीं काटा जाएगा ।

परन्तु यह और कि बाजार क्षेत्र में व्यापारियेां के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार होने की दशा में बाजार शुल्क विक्रेता द्वारा संग्रहीत किया जाएगा तथा संदत्त किया जाएगा ।

(5) बाजार कर्मी , जैसा कि बाजार समिति, उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट करें विक्रय तथा क्रय या प्रसंस्करण या मूल्य संवर्द्धन से संबंधित लेखे अपेक्षित प्रारूपों में रखेंगे तथा बाजार समिति को ऐसी नियतकालिक विवरणियां प्रस्तुत करेंगे जैसी कि विहित की जाए ।

(6) बाजार यार्ड / उप बाजार यार्ड में प्रवेश करने वाली गाड़ियों पर बाजार समिति ऐसी दर से , जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए , प्रवेश शुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण कर सकेगी ।

6. झारखंड राज्य कृषि उपज बाजार अधिनियम ,2000 (अंगीकृत)की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं अंतः स्थापित किया जाय ।

54. 1. कोई भी अधिसूचित कृषि उपज ऐसी रीति में तथा ऐसा प्रारूप मे जैसा कि निदेशक /प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा विहित किया जाए, जारी किए गए अनुज्ञा पत्र के अनुसार ही बाजार क्षेत्र से बाहर हटाई जाएगी, अन्यथा नहीं

बशर्ते कि विक्रेता द्वारा जारी किया गया बिल , कृषि उपज के प्रसंस्कृत उत्पादन के परिवहन के समय पास में रखा होगा ।

बशर्ते यह भी कि कृषि उपज का उत्पादन स्वयं बिना अनुज्ञा पत्र के जैसा कि प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा विहित किया जाए, कृषि उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए ।

2. किसी भी कृषि उपज को वाणिज्यिक संव्यवहार के अधीन, जैसा कि प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा विहित किया जाए, बाजार क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाएगा ।

55. बाजारोन्मुख कृषि के एकरारनामा का प्रकार –

1. कोई भी बाजारोन्मुख कृषि तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि निम्न शर्त्तावालियों का पालन नहीं होता है, और जिन्हें अधिनियम के परिशिष्ट–II में संरक्षित किया गया है ।

(i) बाजार समिति प्रयोजक स्वयं को बाजार समिति में या निर्धारित अधिकारी से यदि बाजारोन्मुख कृषि उत्पादन का जमीन एक से अधिक बाजार क्षेत्र में हो, ऐसी रीति से पंजीकृत कराएगा जैसा कि विहित हो ।

(ii) बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा के इस निमित विहित किये गये अधिकारी से या बाजार समिति से अभिलेखबद्ध कराएगा जिसके करार का स्वरूप ऐसा होगा कि उसमें से विवरण व शर्तो का उल्लेख हो जो कि विहित की जाय । बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा में किसी बात के होते हुए भी बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा से उद्‌भूत परिणाम के रूप में किसी हक, अधिकार दखल, स्वामित्व या अधिग्रहरण का अंतरण या अन्य संक्रामक या बाजारोन्मुख कृषि प्रायोजक या बाजारोंमुख कृषि क्रेता या उसके उत्तराधिकारी या एजेन्ट में निहित नहीं किया जाएगा ।

2. बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा के प्रावधानों में यदि उभय पक्षों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कोई भी पक्ष अपना आवेदन संबंधित बाजार समिति या विहित पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दे सकते है, जिससे विवाद की मध्यस्ता हो । विवाद के निबटारा के लिए बाजार समिति या विहित पदाधिकारी उपभपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अधिकतम एक सप्ताह के अंदर निबटारा करेंगे ।

3. बाजार समिति या विहित पदाधिकारी के निर्णय से व्यथित पार्टी उप धारा 3 के अधिन निर्णय दिये जाने के तारीख से 15 दिनों के अन्दर निदेशक /प्रबन्ध निदेशक या कोई पदाधिकारी जो प्रबन्ध निदेशक, झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा प्राधिकृत हो, के यहाँ अपील दायर कर सकते है । निदेशक /प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्ध निदेशक, झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित मौका दिये जाने के बाद वाद का निष्पादन 15 दिनों के अंदर करेंगे और निदेशक /प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्ध निदेशक, झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा ।

4. बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा से संबंधित या इससे उठने वाले विवादों को इसमें किये गये उपर्युक्त उपबंधों के सिवाय किसी न्यायालय में नहीं उठाया जाएगा ।

5. बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा के दायरे में आने वाले कृषि उपज को बाजार यार्ड के बाहर बाजारोन्मुख कृषि प्रायोजक को बेचा जा सकता है और बाजार शुल्क कृषि उपज पर बाजारोन्मुख कृषि क्रेता से उस दर पर लिया जाएगा जो उपबंधित होगा।

56. (क) अनुज्ञप्ति

1. ऐसा कोई व्यक्ति , जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित कृषि उपज सीधे कृषकों से खरीदना चाहता हो या निजी यार्ड स्थापित करना चाहता हो या धारा 5 (4) के अधिन उपभोक्ता /कृषक बाजार , एक या एक से अधिक बाजार क्षेत्र में स्थापित करना चाहता हो, यथास्थिति अनुज्ञप्ति के मंजूरी या नवीकरण के लिए निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसा कि बोर्ड द्वारा विहित की जाए, आवेदन करेगा।

2. लाइसेंस के लिए ऐसा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ ऐसा शुल्क जमा किया जाएगा जैसा कि प्रबन्ध निदेशक द्वारा विहित किया जाए ।

3. उपधारा (1) के अधीन लाइसेंस की मंजूरी /नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन, प्रबन्ध निदेशक द्वारा विहित किए गए प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति स्वीकृत या अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से रद्द किया जा सकता है।

अगर

(i) बाजार समिति को संदेय , राशि आवेदक पर बकाया हो ।

(ii) आवेदक नाबालिग हो या सदाशयी न हो ।

(iii) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधि द्वारा आवेदक व्यतिक्रमी घोषित कर दिया गया है ।

(iv) आवेदक को किसी फौजदारी मामले में दोषी करार दिया गया हो और कारावास का दण्ड दिया गया हो ।

4. इस अधिनियम के तहत मंजूर या नवीकृत किए गए सभी अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियो के उपबंधो के अध्यधीन होंगे।

(ख) 1. अधिनियम की धारा 56 (क) की उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए निदेशक या प्रबन्ध निदेशक या विहित प्राधिकारी या बाजार समिति जिसने भी यथास्थिति अनुज्ञप्ति या पंजीकरण जारी किया हो, अनुज्ञप्तिधारी /पंजीकरण धारक को लिखित में कारण बताते हुए अनुज्ञप्ति /पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगा ।

(i) यदि अनुज्ञप्ति या पंजीकरण जानबूझकर मिथ्या निरूपण या कपट द्वारा प्राप्त किया गया हो, या

(ii) अगर कोई अनुज्ञप्ति पंजीकरण धारक या कोई कर्मचारी या उसकी अनुज्ञप्ति पंजीकरण धारक अभिव्यक्ति या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति /पंजीकरण के निबंधनों या शर्तो में से किसी भी निबंधन या शर्त को भंग करता है, या

(iii) अगर अनुज्ञप्ति /पंजीकरण धारक अन्य अनुज्ञप्ति /पंजीकरण धारकों के साथ मिलकर अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को बाजार यार्ड/उप बाजार यार्ड में जानबूझ कर बाधित करने या रोकने के आशय से बाजार क्षेत्र में कोई कार्य करें या अपना सामान्य कारोबार चलाने से प्रविरत रहे और जिसके परिणामस्वरूप किसी अधिसूचित कृषि उपज का विपणन बाधित, निलंबित हुआ हो या रूक गया हो, या

(iv) अगर अनुज्ञप्ति /पंजीकरण धारक दिवालिया हो गया हो, या

(v) अगर अनुज्ञप्ति /पंजीकरण धारक कोई ऐसी निरर्हता, जैसी कि विहित हो, उपगत कर लें,या

(vi) अनुज्ञप्ति /पंजीकरण धारक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोषी ठहराया जाए, अगर सिद्धदोष पहली बार हो या तीन वर्षो में उत्तरवर्ती सिद्धदोष हो ।

2. अधिनियम की धारा 56 (क) की उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी अनुज्ञप्ति /पंजीकरण को, किसी ऐसे कारण से , जिस कारण से कि कोई बाजार समिति किसी अनुज्ञप्ति /पंजीकरण को उपधारा (1) के अधीन निलंबित कर सकती हो, एक माह से अनधिक कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति /पंजीकरण धारक को लिखित में कारण बताने के बाद , निलंबित कर सकेगा ,

परन्तु ऐसा आदेश, उसके किए जाने की तारीख से दस दिन की कालावधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेगा अगर ऐसी अवसान के पूर्व उस आदेश की पुष्टि बाजार समिति द्वारा नहीं कर दी गई हो ।

3. अधिनियम की धारा 56 (ख) की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्तु धारा 56 (ख) की उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद लिखित में अनुज्ञप्ति /पंजीकरण धारक को ऐसी कारणों की सूचना देते हुए, आदेश द्वारा बाजार समिति द्वारा मंजूर या नवीकृत किए गए अनुज्ञप्ति /पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगा ।

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश , बाजार समिति को सूचना दिए बिना जारी नहीं किया जाएगा ,

4. इस धारा के अधीन कोई अनुज्ञप्ति /पंजीकरण तब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके धारक को ऐसे निलंबन या रद्दकरण के विरूद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।

(ग) 1. बाजार समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या अध्यक्ष या निदेशक/प्रबन्ध निदेशक के किसी आदेश द्वारा, जो कि यथास्थिति धारा 56 के अधीन पारित किया गया हो, व्यथित कोई भी व्यक्ति अपील कर सकेगा ।

(i) ऐसा आदेश की प्राप्ति के सात दिन के भीतर बाजार समिति को , जहां ऐसा आदेश अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो ।

(ii) इस आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर निदेशक /प्रबन्ध निदेशक को , जहां ऐसा आदेश बाजार समिति द्वारा पारित किया गया हो, और

(iii) इस आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर यथा निर्धारित रीति में राज्य सरकार को जहां ऐसा आदेश , निदेशक /प्रबन्ध निदेशक, झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा पारित किया गया हो ।

2. अपील पदाधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे ,उस आदेश को जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, ऐसी कालावधि के लिए जैसी की वह उचित समझे, रोक सकेगा ।

3. अध्यक्ष, बाजार समिति और निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा पारित किया गया आदेश इस धारा के अधीन अपील में दिए गए आदेश के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा तथा किसी विधिक न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

परिशिष्ट II

बाजारोन्मुख कृषि मॉडल एकरारनामा
(धारा 55 (1) के अंतर्गत)

(इस एकरारनामा के सभी खंड “ बाजारोन्मुख कृषि मॉडल एकरारनामा की विषय–वस्तु” में दी गयी संबंधित स्पष्टीकरण टिप्पणियों के अध्यधीन है)

यह करार..(वर्ष) 200 ....में ....से..की आयु के लोगों की बीच जो...............................के रहने वाले है , जिसे पहले भाग का पहला पक्षकार कहा गया है (जब कि संदर्भ से असंगत नहीं है इससे अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसके वारिस , निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती) किया गया , मैसर्स..कम्पनी अधिनियम , 1956 के उपबंधों के अंतर्गत संस्थापित एक प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय..पर है जिसे दूसरे भाग का दूसरा पक्षकार कहा गया है (जब तक संदर्भ से असंगत नहीं है इससे अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) ।

पहले भाग का पक्षकार कृषीय भूमि का स्वामी /कृषक है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है ।

ग्राम	गट संख्या	क्षेत्र , हेक्टेयर में	अंचल और जिला	राज्य

दूसरे भाग का पक्षकार कृषि उपज का व्यापार कर रहा है और भूमि तैयार करने , नर्सरी उर्वरण , नाशीजीव प्रबन्धन , सिचाई , फसल कटाई और सदृश बातों के संबंध में तकनीकी जानकारी भी प्रदान कर रहा है ।

दूसरे भाग का पक्षकार विशेषकर यहां संलग्न सूची में उल्लिखित कृषि उपज की मदों में अधिक आकृष्ट है और दूसरे भाग के पक्षकार के अनुरोध पर , पहले भाग का पक्षकार यहां संलग्न सूची में उल्लिखित कृषि उपज की मदों की खेती और उपज बढ़ाने के लिए सहमत हो गया है ।

दोनों पक्षकार , इसमे आगे लिखी गई रीति से लिखित में , शर्तें कम करने के लिए करार करते है ।

यह करार इस बात का साक्षी है कि यह नियमानुसार इसके पक्षकारों और उनके बीच किया गया।

खण्ड–1

पहले भाग का पक्षकार कृषि का उत्पादन करने और दूसरे भाग के पक्षकार को देने के लिए सहमत है और दूसरे भाग का पक्षकार पहले भाग के पक्षकार से कृषि उपज की मदों की खरीद करने के लिए सहमत है, मदों के व्यौरे , गुणवता , मात्रा और मदों की कीमतें उपाबद्ध सूची में विशेष रूप से उल्लिखित है ।

खण्ड–2

कृषि उपज जिसके व्यौरे इससे उपाबद्ध सूची में उल्लिखित किये गये है, पहले भाग के पक्षकार द्वारा दूसरे भाग के पक्षकार को इसकी ....तारीख के ....माह /वर्ष की अवधि के अंदर प्रदान की जाएगी ।

अथवा

दोनों पक्षकारों के बीच स्पष्ट रूप से सहमति है कि यह करार कृषि उपज जिसके व्यौरो का वर्णन इसकी उपाबद्ध सूची में किया गया है, के लिए है और यह ....माह/वर्षो की अवधि के लिए है और इस अवधि के समाप्त होने पर यह करार स्वतः समाप्त हो जाएगा ।

खण्ड–3

पहले भाग का पक्षकार खेती करने और इससे उपाबद्ध सूची में उल्लिखित मात्रा को दूसरे भाग के पक्षकार को देने के लिए सहमत है ।

खण्ड–4

पहले भाग का पक्षकार अनुसूची में निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशनों के अनुसार संविदागत मात्रा को देने के लिए सहमत है । यदि कृषि उपज सहमत किये गये गुणवता मानकों के अनुसार नहीं है, तो दूसरे भाग का पक्षकार इसके कारण कृषि उपज की सुपुर्दगी को मना करने का पात्र होगा ।

(क) पहले भाग का पक्षकार दूसरे भाग के पक्षकार को पारस्परिक बातचीत से पुनः तय की गई कीमत पर उपज को बेचने के लिए मुक्त होगा ।

अथवा

(ख) मुक्त बाजार में (थोक क्रेता अर्थात निर्यातक/संसाधन/निर्माता आदि) और यदि वह संविदागत कीमत से कम कीमत प्राप्त करता है तो दूसरे भाग के पक्षकार को अपने निवेश के अनुपात में कम देगा ।

अथवा

(ग) बाजार यार्ड में और यदि प्राप्त की गई कीमत संविदागत कीमत से कम है तो वह अपने निवेश के अनुपात में , निवेश के अनुपात में दूसरे भाग के पक्षकार को कम लौटाएगा ।

यदि दूसरे भाग का पक्षकार अपने किन्हीं कारणों से संविदागत उपज की सुपुर्दगी को लेने से मना करता है/लेने मे असफल है तो पहले भाग का पक्षकार उपज को मुक्त बाजार में बेचने के लिए मुक्त होगा और यदि प्राप्त की गई संविदागत कीमत से कम है और यह अंतर दूसरे भाग के पक्षकार के कारण होगा तो दूसरे भाग का पक्षकार उक्त अंतर को पहले भाग के पक्षकार को.......... ....दिनों के अवधि के अंदर देगा ।

खण्ड–5

पहले भाग का पक्षकार दूसरे भाग के पक्षकार द्वारा समय–समय पर दिये गये सुझावों के अनुसार भूमि तैयार करने, नर्सरी, उवरण , नीशीजीव प्रबन्धन , सिचाई , फसल कटाई और अन्य बातों के बारे में अनुदेशों /पद्धतियों को स्वीकार करने अनुसूची मे उल्लिखित विनिर्देशनों के अनुसार मदों की खेती करने के लिए सहमत है।

खण्ड–6

दोनों पक्षकारों के बीच स्पष्ट रूप से यह सहमति है कि क्रयन (खरीदारी) निम्नशर्तों केअनुसार होगी और खरीद के तुरन्त बाद क्रय पर्ची दी जाएगी ।

तारीख	सुपुर्दगी स्थल	सुपुर्दगी की लागत

यह भी सहमति हुई है कि दूसरे भाग के पक्षकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सुपुर्दगी के बाद सुपुर्दगी स्थल पर संविदागत उत्पाद को कब्जे में ले और यदि वह ....अवधि के अंतर सुपुर्दगी लेने असफल होता है तो पहले भाग का पक्षकार संविदागतद कृषि उत्पाद को निम्नानुसार बेचने के लिए मुक्त होगा ।

(क) मुक्त बाजार में (थोक क्रेता अर्थात निर्यातक/संसाधन /निर्माता आदि) और यदि वह संविदागत कीमत से कम कीमत प्राप्त करता है तो दूसरे भाग के पक्षकार को अपने निवेश के अनुपात में कम देगा ।

(ख) बाजार यार्ड में और यदि प्राप्त की गई कीमत संविदागत कीमत से कम है तो वह अपने निवेश के अनुपात में , निवेश के अनुपात में दूसरे भाग के पक्षकार को कम लौटाएगा ।

खण्ड–7

फसल की कटाई के बाद जब उसे दूसरे भाग के पक्षकार को सौंप दिया जाता है , तब दूसरे भाग का पक्षकार , पहले भाग के पक्षकार को दिये गये सभी अग्रिमों की बकाया राशि की कटौती के बाद , उसे अनुसूची में उल्लिखित कीमत /दर देगा ।
भुगतान के लिए निम्न सूची का अनुपालन किया जाएगा ।

तारीख	भुगतान का तरीका	भुगतान का स्थान

खण्ड–8

इसके पक्षकार इससे उपबद्ध अनुसूची में उल्लिखित संविदागत उपज को दैवीय प्रकोप विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों के नाश , ऋण दोष और उत्पादन एंव आय में हानि और अन्य कार्य अथवा घटनाएं जो पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर है जैसे गंभीर बीमारी , महामारी फैलने से अथवा असामान्य मौसम , बाढ़ , सूखा, ओलावृष्टि , तुफान , भुकम्पों , आग अथवा अन्य महाविपत्तियों , युद्ध के कारण बहुत कम उत्पादन और सरकार के कार्य जो इस करार के समय अथवा इसकी प्रभावी तारीख पर किये गये है जो कृषक के दायित्व के पूरा होने के पूर्णतः अथवा बाधित करते है, के कारण होने वाली हानियों के जोखिम से बचाने के लिए...की अवधि के लिए बीमा करवाएंगे । अनुरोध पर ऐसे कार्यो को करने वाला पहले भाग का पक्षकार तथ्यों की विद्यमानता की पुष्टि दूसरे पक्षकार को देगा । ऐसे साक्ष्य में समुचित सरकारी विभाग के प्रमाण– पत्र का विवरण शामिल होगा । यदि ऐसा विवरण अथवा प्रमाण पत्र युक्तियुक्त प्रकार से प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे कार्यो का दावा करने वाला पहले भाग का पक्षकार इसके विकल्प के रूप में नोटरी विवरण तैयार करेगा । जिसमें दावा किये गये तथ्यों के ब्यौरों और कारणों का वर्णन होगा कि क्यों ईस प्रकार का प्रमाण पत्र अथवा विवरण ऐसे तथ्यों की विद्यमानता की पुष्टि करता है । विकल्पतः दोनों पक्षकारों के बीच पारस्परिक सहमति के अध्यधीन पहले भाग का पक्षकार उपज के अपने कोटे को अन्य श्रोत्रों से पूरा कर सकता है और कीमत अंतर के कारण उसके द्वारा उठाई गई हानि बीमा कम्पनी से प्राप्त राशि को ध्यान में रखकर दोनों पक्षकारों के बीच बराबर बांटा जाएगा । बीमा प्रीमियम दोनों पक्षकारों में बराबर बांटा जाएगा ।

खण्ड–9

दूसरे भाग का पक्षकार खेती और फसलोपरान्त प्रबन्धन की अवधि के दौरान पहले भाग के पक्षकार को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है । इस सेवाओं का व्यौरा निम्नानुसार है :–

1.

2.

3.

4.

खण्ड–10

दूसरे भाग का पक्षकार अथवा इसके प्रतिनिधि करार की अवधि के दौरान पहले भाग के पक्षकार द्वारा स्थापित /नामित कृषक फोरम के साथ नियमित बातचीत करने के लिए सहमत है ।

खण्ड–11

दूसरे भाग के पक्षकार अथवा इसके प्रतिनिधियों को अपनी लागत पर समय–समय पर स्वीकृति कृषि पद्धतियों और उपज की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए पहले भाग के पक्षकार के परिसरों /खेतों में प्रवेश करने का अधिकार होगा ।

खण्ड–12

दूसरे भाग का पक्षकार यह पुष्टि करता है कि उसने स्वयं को दिनांक.................को पंजीकरण प्राधिकरण.........................के साथ पंजीकृत करवा लिया है और इस संबंध में प्रचलित कानून के अनुसार वह उस पंजीकरण प्राधिकरण को शुल्क प्रदान करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में उस कृषि उपज के विपणन का विनियमन है जिसकी खेती उस भूमि पर की जाती है जिसका वर्णन

अथवा

दूसरे भाग के पक्षकार ने स्वयं को दिनांक...को एकल बिन्दु पंजीकरण प्राधिकरण नामतः...के साथ पंजीकृत कर लिया है जो इस संबंध में राज्य द्वारा विहित किया गया है । संबंधित पजीकरण प्राधिकरण द्वारा उद्गृहित शुल्क केवल दूसरे भाग के पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा और किसी भी रीति में पहले भाग के पक्षकार को दी गई राशि से काटा नहीं जाएगा।

खण्ड–13

इस करार के दौरान दूसरे भाग के पक्षकार को पहले भाग के पक्षकार की भूमि सम्पति पर हक, स्वामित्व , कब्जा करने का अधिकार नहीं होगा न ही यह किसी भी तरह पहले भाग के पक्षकार को विशेषकर भूमि सम्पति से अन्य संक्रान्त कर सकता है और न ही किसी भी तरह से पहले पक्षकार की भूमि सम्पति को अन्य दूसरे व्यक्ति/संस्थान को बंधन स्वरूप, पट्टे पर ,उप पट्टे पर दे सकता है अथवा अंतरित कर सकता है ।

खण्ड–14

दूसरे भाग का पक्षकार इस करार की सही प्रति दोनों पक्षकारो द्वारा हस्ताक्षरित करवाकर इसके करने की तारीख से 15 दिन के अवधि के अंदर इस उद्देश्य के लिए विहित ए0पी0एम0आर0 अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित .... मंडी समिति/पंजीकरण प्राधिकरण /अन्य कोई पंजीकरण प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

खण्ड–15

करार का विघटन पर्यवसान, रद्दकरण दोनो पक्षकारों की सहमति से होगा । ऐसे विघटन अथवा पर्यवसान /रद्दकरण का विलेख इस प्रकार के विघटन पर्यवसान/रद्दकरण होने के 15 दिनों के अंदर पंजीकरण प्राधिकरण को भेज दिया जाएगा ।

खण्ड–16

इस विषय में दोनों पक्षकारों के बीच होने वाले विवाद अथवा मतभेद या इस करार के अंतर्गत अधिकारों और उत्तरदायित्वों के कारण या एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के विरूद्ध कोई आर्थिक दावा अथवा अन्यथा या इस करार की किन्हीं शार्तों की व्याख्या और प्रभाव के कारण ऐसे विवाद अथवा मतभेद , इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट एकल विवाचक द्वारा किया जायेगा।

खण्ड–17

इस करार के किसी भी पक्षकार का पता परिवर्तन होने के मामले में यह पता दूसरे पक्षकार और पंजीकरण प्राधिकरण को भी सूचित किया जाना चाहिए ।

खण्ड–18

इस विषय में प्रत्येक पक्षकार इस करार के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्वों के निष्पादन मे दूसरे पक्षकार के साथ सद्भावपूर्वक , तत्परतापूर्वक और ईमानदारी से कार्य करेगा और दूसरे के हित को जोखिम में नहीं डालेगा ।

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख.............दिन.....................माह.........................और.............................वर्ष में इस करार में हस्ताक्षर कर दिये है ।

पहले भाग के पक्षकार.......................................ने)

1. ---)
2. ---)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुद्रा लगाई और परिदान किया ।

दूसरे भाग के पक्षकार..ने)

1. ---)
2. ---)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए , मुद्रा लगाई और परिदान किया ।

अनुसूची

श्रेणी विनिर्देशन ,मात्रा और कीमत चार्ट

श्रेणी	विनिर्देशन	मात्रा	कीमत /दर
श्रेणी 1अथवा क	आकार रंग सुवास (एरोमा) इत्यादि		
श्रेणी 2 अथवा ख			

यह विधेयक झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2007 दिनांक 3 अप्रैल, 2007 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 27 मार्च, 2008 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(आलमगीर आलम)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 1--50--7-4-2008--शनि मुण्डा ।